L. C. BILL No. XIV OF 2025.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION ACT, THE MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATIONS ACT AND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT, 1965.

विधानपरिषद का विधेयक क्रमांक १४ सन् २०२५।

मुंबई नगर निगम अधिनियम, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन करने संबंधि विधेयक।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, मुंबई नगर निगम अधिनियम, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिए, मुंबई नगर निगम, महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) अध्यादेश, २०२५, ३ नवम्बर २०२५ को प्रख्यपित हुआ था ;

सन् १८८८ का ३। सन् १९४९ का ५९। सन् १९६५ का महा. ४०।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

सन् २०२५ का महा. अध्या. क्र. ११।

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम मुंबई नगर निगम, महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) अधिनियम, २०२५ कहलाए।

(२) यह ३ नवम्बर २०२५ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अध्याय दो

मुंबई नगर निगम अधिनियम में संशोधन।

सन् १८८८ का ३ की धारा ५ख में संशोधन।

२. मुंबई नगर निगम अधिनियम (जिसे इसमें आगे, इस अध्याय में, " मुंबई नगर निगम अधिनियम" कहा गया है) की धारा ५ ख के विद्यमान परन्तुक के स्थान में, निम्न परन्तुक रखा जायेगा, अर्थात् :— सन् १८८८ का ३।

"परंतु, कोई व्यक्ति, जिसने नामांकन पत्र दाखिल करने के दिनांक के पूर्व अपने जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए संवीक्षा समिति को आवेदन किया है, परन्तु, जिसे नामांकन पत्र दाखिल करने के दिनांक पर विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है, तो वह नामनिर्देशन पत्र के साथ, निम्न प्रस्तुत करेगा,—

(एक) विधिमान्यता प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए संवीक्षा समिति को उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन की एक सत्य प्रतिलिपि या संवीक्षा समिति को ऐसा आवेदन करने का कोई अन्य सबूत ; और

(दो) यह वचनबंध कि, वह संवीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया विधिमान्यता प्रमाणपत्र जिस दिनांक को वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर, प्रस्तुत करेगा :

परंतु यह और भी कि, यदि ऐसा व्यक्ति जिस दिनांक से वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर, विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए असफल होता है तो, उसका निर्वाचन भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त हुआ समझा जाएगा और वह पार्षद होने से निरर्ह हो जाएगा।"।

सन् १८८८ का ३ की धारा ३७ में संशोधन ।

३. मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा ३७ की, उप-धारा (२क) के विद्यमान परन्तुक के स्थान में निम्न परन्तुक रखा जायेगा, अर्थात् :—

"परंतु, कोई व्यक्ति, जिसने नामांकन पत्र दाखिल करने के दिनांक के पूर्व अपने जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए संवीक्षा समिति को आवेदन किया है, परन्तु, जिसे नामांकन पत्र के दाखिल करने के दिनांक पर विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है, तो वह नामनिर्देशन पत्र के साथ, निम्न प्रस्तुत करेगा,—

(एक) विधिमान्यता प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए संवीक्षा समिति को उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन की एक सत्य प्रतिलिपि या संवीक्षा समिति को ऐसा आवेदन करने का कोई अन्य सबूत ; और

(दो) यह वचनबंध कि, वह संवीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया विधिमान्यता प्रमाणपत्र जिस दिनांक को वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर, प्रस्तुत करेगा :

परंतु यह और भी कि, यदि ऐसा व्यक्ति जिस दिनांक से वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर, विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल होता है तो, उसका निर्वाचन भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त हुआ समझा जाएगा और वह महापौर होने से निरर्ह हो जाएगा।"।

अध्याय तीन

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में संशोधन।

सन् १९४९ का ५९।

४. महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम (जिसे इसमें आगे, "महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम" कहा गया है) की, धारा ५ख के विद्यमान परन्तुक के स्थान में निम्न परन्तुक रखा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९४९ का ५९ की धारा ५ ख में संशोधन।

"परंतु, कोई व्यक्ति, जिसने नामांकन पत्र दाखिल करने के दिनांक के पूर्व अपने जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए संवीक्षा समिति को आवेदन किया है, परन्तु, जिसे नामांकन पत्र के दाखिल करने के दिनांक पर विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है, तो वह नामनिर्देशन पत्र के साथ, निम्न प्रस्तुत करेगा,—

(एक) विधिमान्यता प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए संवीक्षा समिति को उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन की एक सत्य प्रतिलिपि या संवीक्षा समिति को ऐसा आवेदन करने का कोई अन्य सबूत ; और

(दो) यह वचनबंध कि, वह संवीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया विधिमान्यता प्रमाणपत्र जिस दिनांक को वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर, प्रस्तुत करेगा :

परंतु यह और भी कि, यदि ऐसा व्यक्ति जिस दिनांक से वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर, विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल होता है तो, उसका निर्वाचन भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त हुआ समझा जाएगा और वह पार्षद होने से निरर्ह हो जाएगा।"।

५. महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा १९ की, उप-धारा (१ख) के विद्यमान परन्तुक के स्थान में, निम्न परन्तुक रखा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९४९ का ५९ की धारा १९ में संशोधन।

"परंतु, कोई व्यक्ति, जिसने नामांकन पत्र दाखिल करने के दिनांक के पूर्व अपने जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए संवीक्षा समिति को आवेदन किया है, परन्तु, जिसे नामांकन पत्र के दाखिल करने के दिनांक पर विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है, तो वह नामनिर्देशन पत्र के साथ, निम्न प्रस्तुत करेगा,—

(एक) विधिमान्यता प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए संवीक्षा समिति को उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन की एक सत्य प्रतिलिपि या संवीक्षा समिति को ऐसा आवेदन करने का कोई अन्य सबूत ; और

(दो) यह वचनबंध कि, वह संवीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया विधिमान्यता प्रमाणपत्र जिस दिनांक को वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर, प्रस्तुत करेगा :

परंतु यह और भी कि, यदि ऐसा व्यक्ति जिस दिनांक से वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर, विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल होता है तो, उसका निर्वाचन भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त हुआ समझा जाएगा और वह महापौर होने से निरर्ह हो जाएगा।"।

अध्याय चार

महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में संशोधन।

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ९क में संशोधन।

६. महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (जिसे इसमें आगे, इस अध्याय में "नगर परिषद अधिनियम" कहा गया है) की धारा ९क के, विद्यमान परन्तुक के स्थान में, निम्न परन्तुक रखा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९६५ का महा. ४०।

"परंतु, कोई व्यक्ति, जिसने नामांकन पत्र दाखिल करने के दिनांक के पूर्व अपने जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए संवीक्षा समिति को आवेदन किया है, परन्तु, जिसे नामांकन पत्र के दाखिल करने के दिनांक पर विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है, तो वह नामनिर्देशन पत्र के साथ, निम्न प्रस्तुत करेगा,—

(एक) विधिमान्यता प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए संवीक्षा समिति को उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन की एक सत्य प्रतिलिपि या संवीक्षा समिति को ऐसा आवेदन करने का कोई अन्य सबूत ; और

(दो) यह वचनबंध कि, वह संवीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया विधिमान्यता प्रमाणपत्र जिस दिनांक को वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर, प्रस्तुत करेगा :

परंतु यह और भी कि, यदि ऐसा व्यक्ति जिस दिनांक से वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर, विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए असफल होता है तो, उसका निर्वाचन भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त हुआ समझा जाएगा और वह पार्षद होने से निरर्ह हो जाएगा।"।

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ५१-१ख में संशोधन।

७. नगर परिषद अधिनियम की धारा ५१-१ख के, विद्यमान परन्तुक के स्थान में, निम्न परन्तुक रखा जायेगा, अर्थात् :—

"परंतु, कोई व्यक्ति, जिसने नामांकन पत्र दाखिल करने के दिनांक के पूर्व अपने जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए संवीक्षा समिति को आवेदन किया है, परन्तु, जिसे नामांकन पत्र के दाखिल करने के दिनांक पर विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है, तो वह नामनिर्देशन पत्र के साथ, निम्न प्रस्तुत करेगा,—

(एक) विधिमान्यता प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए संवीक्षा समिति को उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन की एक सत्य प्रतिलिपि या संवीक्षा समिति को ऐसा आवेदन करने का कोई अन्य सबूत ; और

(दो) यह वचनबंध कि, वह संवीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया विधिमान्यता प्रमाणपत्र जिस दिनांक को वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर, प्रस्तुत करेगा :

परंतु यह और भी कि, यदि ऐसा व्यक्ति जिस दिनांक से वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर, विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल होता है तो, उसका निर्वाचन भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त हुआ समझा जाएगा और वह अध्यक्ष होने से निरर्ह हो जाएगा।"।

सन् २०२५ का महा. अध्या. क्र. ११।

८. (१) मुंबई नगर निगम, महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) अध्यादेश, २०२५, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०२५ का महा. अध्या. क्र. ११ का निरसन और व्यावृत्ति।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मुंबई नगर निगम अधिनियम, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद अधिनियम, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित सुसंगत अधिनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई, या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी। सन् १८८८ का ३। सन् १९४९ का ५९। सन् १९६५ का महा. ४०।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।

मुंबई नगर निगम अधिनियम (सन् १८८८ का ३) की धारा ५ख और ३७, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम (सन् १९४९ का ५९) की धारा ५ख और १९ तथा महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (सन् १९६५ का महा. ४०) की धारा ९क और ५१-१ख यह उपबंध करती है कि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या नागरिकों के पिछड़े प्रवर्ग से संबंधित व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखी गई पार्षद या महापौर या अध्यक्ष की सीट लिए निर्वाचन लड़नेवाले प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति अपने नामांकन पत्र के साथ महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (**विमुक्त जाति**) खानाबदोष जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और विशेष पिछड़े प्रवर्गों (निर्गमन और सत्यापन का विनियमन) जाति प्रमाणपत्र अधिनियम, २००० (सन् २००१ का महा. २३) के उपबंधों तथा तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र और संवीक्षा समिति द्वारा जारी विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

२. वर्ष २०२५-२०२६ में, राज्य में बड़े पैमाने पर स्थानीय निकायों के निर्वाचन लिए जानेवाले है। आरक्षित सीटों पर ऐसे निर्वाचन लड़ने के लिए इच्छुक होनेवाले उम्मीदवारों से उनके विधिमान्यता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए जाति संविक्षा समिति को बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हो रहे थे। इसलिए, ऐसे निर्वाचनों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के पूर्व ऐसे जाति संविक्षा समितियों पर आवेदनों के संविक्षा कार्य का अत्यधिक बोझ पड सकेगा और प्रत्येक पाँच वर्षों के पश्चात् ऐसे निर्वाचनों के पूर्व ऐसी परिस्थिति उद्भूत हो सकेगी।

जाति संवीक्षा समिति द्वारा समय पर जाति विधिमान्यता प्रमाणपत्र जारी न किये जाने के कारण केवल आरक्षित सिटों पर ऐसा निर्वाचन लडने के अवसर से प्रत्याशित उम्मीदवार वंचित न रहे, इसलिए, सरकार, आरक्षित सीटों पर निर्वाचन लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को अनुमति देने की दृष्टि से नगरपालिका विधि में यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझती है ताकि, जाति विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए जाति संवीक्षा समिति को जिसने आवेदन किया था उनको, जिस दिनांक पर वे निर्वाचित घोषित हुए हैं उस दिनांक से छह महीने के भीतर विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दे सके और यदि, वह छह महीने के भीतर विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल होता है तो उसका निर्वाचन भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त हुआ समझा जायेगा।

३. चूँकि, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हे इसमें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, मुंबई नगर निगम अधिनियम, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिए, महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा मुंबई नगर निगम, महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) अध्यादेश, २०२५ (सन् २०२५ का महा. अध्या. क्र. ११) ३ नवम्बर २०२५ को प्रख्यापित हुआ था।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना है।

मुंबई,
दिनांकित ३ दिसंबर, २०२५।

एकनाथ शिंदे,
उप-मख्यमंत्री।
(नगर विकास)

विधानभवन,
मुंबई,
दिनांकित ३ दिसंबर, २०२५।

(यथार्थ अनुवाद),
श्री. अरूण कमळाबाई वाळू गिते,
प्रभारी भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

डॉ. विलास आठवले,
सचिव (३),
महाराष्ट्र विधानपरिषद।

शासकीय मुद्रणालय, नागपूर